भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3205
गुरुवार, 21 दिसंबर 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान अधिकारों को सीमित किया जाना

3205. श्री एम. सेल्वराजः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में उड़ान अधिकारों को सीमित करने और विदेशी विमान कंपनियों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या कारण और उद्देश्य हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) और (ख) विदेशी एयरलाइनों के प्रचालन, भारत और संबंधित देश (जिसने एयरलाइन को नामित किया है) के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कोई भी विदेशी एयरलाइन भारत में किसी स्थान (हवाईअड्डे) से/तक प्रचालन कर सकती है, यदि इसे एएसए में पॉइंट ऑफ कॉल के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, भारत सरकार, गैर-मेट्रो पॉइंट से भारतीय वाहकों के और अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने वाहकों के घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रचालन के माध्यम से बढ़ावा देने की नीति का पालन करती है। तदनुसार, नीति किसी भी विदेशी वाहक को, एएसए में किसी भी गैर-मेट्रो हवाईअड्डे को नए पॉइंट ऑफ कॉल के रूप में मंजूरी नहीं देने की है।

*****